

परिवहन निगम मुख्यालय  
लखनऊ

संख्या:-जी-20एफए/15-349एफए/88/12/टीसी


दिनांक: 8 अप्रैल, 2015

- 1 प्रधान प्रबन्धक,  
केन्द्रीय कार्यशाला/डा0राम मनोहर लोहिया कार्यशाला  
उ0प्र0परिवहन निगम कानपुर।
- 2 प्रधान प्रबन्धक,  
परिवहन निगम मुख्यालय,
- 3 प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान,  
उ0प्र0परिवहन निगम कानपुर।
- 4 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,  
उ0प्र0परिवहन निगम।
- 5 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त)/सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी,  
उ0प्र0परिवहन निगम।
- 6 प्रबन्धक(आहरण-वितरण),  
उ0प्र0 परिवहन निगम,  
मुख्यालय, लखनऊ।
- 7 प्रबन्धक, कारसेवशन,  
उ0प्र0 परिवहन निगम लखनऊ।
- 8 अधिशासी अभियन्ता(पूर्व/पश्चिम)  
निगम मुख्यालय लखनऊ।

विषय :- चिकित्सा भत्ता रू0 50/- से बढ़ाकर रू0 100/- प्रतिमाह करने के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 परिवहन निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को शासनादेश सं0-937/तीस-2-06-2(01)/2004टीसी दिनांक 12.05.2008 के अनुपालन में इस कार्यालय के परिपत्र सं0-जी-20एफए/06-349एफए/88 दिनांक 18.05.2006 द्वारा चिकित्सा भत्ता रू0 50/- प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है।

शासनादेश सं0-279/30-2-15-02(01)/2004टीसी दिनांक 24.04.15 द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति के दृष्टिगत निगम के पूर्णकालिक कार्मिकों को चिकित्सा भत्ते की रू0 50/- प्रतिमाह की दर को बढ़ाकर रू0 100/- प्रतिमाह निर्धारित किया जाता है। उक्त दरे दिनांक 01.05.2015 से प्रभावी होगी।

  
(मुकेश कुमार मेथाम)  
प्रबन्ध निदेशक